

October 18, 2024

Ref:- GHL/2024-25/EXCH/75

The General Manager Dept. of Corporate Services BSE Limited, P J Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001 The Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400 051

Scrip Code: 543654 Symbol: MEDANTA

Sub: Newspaper Advertisement on date of hearing of Petition for sanction of the Scheme of Amalgamation of Medanta Holdings Private Limited with and into Global Health Limited and their Shareholders and Creditors (**'Scheme'**)

Dear Sir(s),

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith, the copies of Newspaper clippings of the advertisement published in Business Standard, English (Delhi Edition) and Business Standard, Hindi (Delhi Edition) on *Friday, October 18, 2024*, regarding Notice of hearing of the Petition for sanctioning the Scheme, as per the directions of Hon'ble National Company Law Tribunal, Delhi Bench.

This is for your information and record.

For Global Health Limited

Rahul Ranjan Company Secretary & Compliance Officer M. No. A17035

Encl: a/a













That the above named borrower(s) have failed to maintain the financial discipline towards their loan account (s) and as per books of accounts maintained in the ordinary course of business by the Company, Column D indicates the outstanding amount. Due to persistent default in repayment of the Loan amount on the part of the Borrower(s) the above said loan account has been classified by the Company as Non Performing Asset (as on date in Column C) within the guidelines relating to assets classification issued by Regulating Authority. Consequently, notices under Sec. 13(2) of the Act were also issued to each of the borrower. In view of the above, the Company hereby calls upon the above named Borrower(s) to discharge in full his / their liabilities towards the Company by making the payment of the entire outstanding dues indicated in Column D above including up to date interest, costs, and charges within 60 days from the date of publication of this notice, failing which, the Company shall be entitled to take possession of the Mortgaged Property mentioned in Column B above and shall also take such other actions as is available to the Company in law.

Please note that in terms of provisions of sub - Section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act. "A borrower can tender the entire Please note that in terms of provisions of sub - Section (8) of Section 13 of the SARFAESIAct, "A borrower can tender the entire amount of outstanding dues together with all costs, charges and expenses incurrent by the Secured Creditor only till the date of publication of the notice for sale of the secured asset(s) by public auction, by inviting quotations, tender from public or by private treaty. Further it may also be noted that in case Borrower fails to redeem the secured asset within aforesaid legally prescribed time frame, Borrower may not be entitled to redeem the property."

In terms of provision of sub-Section (13) of Section 13 of the SARFAESIAct, you are hereby prohibited from transferring, either by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of his business) any of the secured assets referred to in the notice, without ordor written consent of secured creditor.

notice, without prior written consent of secured creditor.

FOR INDIABULLS COMMERCIAL CREDIT LTD. Place : SONIPAT

Aadhar Housing Finance Ltd.

THROUGH NATURAL GUARDIAN)

Corporate Office: Unit No. 802, Natraj Rustomjee, Western Express Highway and M.V. Road, Andheri (East), Mumbai – 400069.

Meerut Branch : 1st Floor, Aryan Square, Near PVS Mall, Yojna No. 3, I.S. 190 Shastri Nagar, Meerut - 250002 (U.P.) Ghaziabad Branch: OPS Plaza- 3rd Floor, B-2, RDC, Raj Nagar, Ghaziabad 201002 (U.P.)

APPENDIX IV POSSESSION NOTICE (for immovable property)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Aadhar Housing Finance Limited (AHFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, Demand Notice(s) issued by the Authorised Officer of the company to the Borrower(s) / Guarantor(s) mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s) / Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of the Section 13 of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement rules, 2002. The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of AHFL for an amount as mentioned herein under with interest thereon.

Sr. No	Name of the Borrower(s)/ Co-Borrower(s)(Name of the Branch)	Description of Secured Asset (Immovable Property)	Demand Notice Date & Amount	Date of Possession
1	(Loan Code No. 00500002723/ Meerut Branch) Amit Kumar Sharma (Borrower), Indra Sharma (Co-Borrower), Harendra Tyagi (Guarantor)	All that part & parcel of property bearing, House No 211342 Moh New Shivpuri Hapur, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 245101. Boundarles: East- (60'09") House of Ajay Pal Singh, West - (60'09") House of Sh. Madan Pal Singh, North- (14'00") Rasta 20' wide, South- (14'00") House of Rajendra Kumar	08-11-2023 & ₹ 16,07,332/-	15-10-2024
2	(Loan Code No. 02900004126/ Ghaziabad Branch) Late. Bijendra (Represented Through The Legal Heir) (Borrower), Krisna (Co-Borrower),	All that part & parcel of property bearing, House on Khasra No 214Mi Christian Nagar Bagu Vill Mawal, Ghaziabad, Uttar Pradesh, 201001. Boundaries: East- Rasta 12 Ft Wide, West - House of Rajni W/o Manoj, North- Rasta 9 Ft Wide, South- House of Suresh/Vimla Devi	13-05-2024 & ₹ 8,84,400/-	16-10-2024

Place : Uttar Pradesh **Authorised Officer** Date: 18.10.2024 **Aadhar Housing Finance Limited**



GLOBAL HEALTH LIMITED

CIN: L85110DL2004PLC128319

Regd. Office: Medanta - Mediclinic, E-18, Defence Colony, New Delhi -110 024 Tel: +91 124 483 4060; E-mail: compliance@medanta.org; Website: https://www.medanta.org

Before the National Company Law Tribunal, New Delhi, Court V

Company Petition No. (CAA)-70/230-232/ND/2024 **Connected With**

Company Application No. (CAA)-58/230-232/ND/2024

In the matter of the Companies Act, 2013

In the matter of Sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016

And

In the matter of Scheme of Amalgamation

Between

Medanta Holdings Private Limited

(Transferor Company/ Petitioner Company 1) And

Global Health Limited (Transferee Company/ Petitioner Company 2)

And

Their respective Shareholders and Creditors [For the sake of brevity Petitioner Company 1 and Petitioner Company 2 are hereinafter collectively referred to as "Petitioner Companies"]

Notice of Hearing of Petition

A Petition under Sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, for obtaining the sanction of the Scheme of Amalgamation ("Scheme") embodying the amalgamation of Medanta Holdings Private Limited with and into Global Health Limited and their respective Shareholders and Creditors was presented by the Petitioner Companies on August 14, 2024 and was heard on September 04, 2024. In terms of the Order dated September 04, 2024, the said petition is fixed for hearing before the Bench-V of Hon'ble National Company Law Tribunal at New Delhi on Wednesday, November 20, 2024.

Any person desirous of supporting or opposing the said petition should send to the Petitioner Companies' advocate, a notice of his/her intention, signed by his/her advocate, with his/her name and address, so as to reach the Petitioner Companies' advocate at Aekom Legal, G-29, Lower Ground Floor, Lajpat Nagar-III, New Delhi-110024, not later than two (2) days before the date fixed for hearing of the petition. Where such person seeks to oppose the petition, the grounds of opposition or a copy of his/her affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on the payment of the prescribed charges for the same.

Date: October 17, 2024

Place: Gurugram

Authorised Signatory of the Petitioner Company 1

Authorised Signatory of

the Petitioner Company 2

Pnb Housing
Finance Limited
Ghar Ki Baat

APPENDIX -IV-A

E-AUCTION SALE NOTICE OF IMMOVABLE PROPERTY (IES)

E-Auction-Sale Notice for Sale of Immoveable Assets Under the Securitisation and Reconstruction of Finan
Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(8) of the Security Interest (Enforcement Registered Office: 9th Floor, Antriksh Bhawan, 22 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001, Phones:-011-23357171, 23357172, 23705414, Web: - www.pnbhousing.com Farldabad Branch: PNB Housing Finance Ltd., SCO No-136, 1st Floor, Huda Market, Above Allahabad Bank, Sector-21 C, Farldabad, Haryana – 121003

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the borrower(s) & guaranter(s) indicated in Column no-A that the below described immoveble property (iss) described in Column no-D mortgaged/cheroed to the Secured Creditor, the constructive Physical Possession of which has been taken as described in Column no-D that the below described immoveble property (iss) described in Column no-D mortgaged/cheroed to the Secured Creditor, will be sold on "ASTS WHERE IS, ASTS where It is the details mentioned below. Notice is hereby given to borrowers/g/mortgagor(s)/Legal Heise; Legal Representative, whether Known or Unknown), executor(s), assignee(s) of the respective borrowers/mortgagor(s)/since deceased) as the case may be indicated in Column no-A under Rule-8(6) & 9 of the Security Interest Emforcement Rules, 2002 amended as on date.

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in M/s PNB Housing Finance Limited/secured creditor's website it. www.pnbhousing.com.

Loan No, Name of the Borrower/Co-Borrower/ Guarantor(s)/Legal heirs (A)

HOU/FBD/0718/558716, B.O.: Fardabad, Sandeep Shah/ Mousing Finance Limited/secured creditor's website i.e. www.pnbhousing.com.

| Hou/FBD/0718/558716, B.O.: Fardabad, Sandeep Shah/ Mousumi Chakraborty | Rs. 2264738.48 | Physical | 1402.0,14.0,Tower A1 (G),Floridaa (under HUDA Affordable Policy | Rs. 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500

Company to the property of the property of the property of the property of obtaining the Bid Documents and for any other query or for registration, you have to co-ordinate with Neeral Kumar Contact Number 1800 120 8800, is authorised person of PNBHFL or refer to www.pnbhousing.com

Authorized Officer, M/s PNB Housing Finance Limited Place : Faridabad, Dated: 18.10.2024

SIEMENS

CAUTION NOTICE

The following Share Certificates of the Company have been reported as lost/misplaced and the Members have requested the Company for issuance of duplicate Share Certificates.

The notice is hereby given that the Company will proceed to issue duplicate Share Certificates and I or issue Letter of confirmations unless valid objection is received by the Company within 15 days from the date of publication of this Notice and no claims will be entertained by the Company with respect to the Share Certificates mentioned below subsequent to the issue of duplicate share certificates and I or issue of Letter of confirmations in lieu thereof:

Sr. No.	Folio No.	Name of the Member	Share Cert. No.	Dist. Nos.	No. of Shares
1.	SIA6000563	Abhishek Sarda	421630	912101 – 912130	30
			B451352	169281161 – 169281190	30
2.	SIK6000718	Kavita Kapoor	425866	2591031 – 2591045	15
3.	SIN6000345	Nanalal R Karva Geeta N Karva	427787	3349776 – 3349780	5
4.	SIB6001615	Bharat P Doshi Heena B Doshi	462630	1166154 – 1166160	7
5.	SIB6000267	Bharat Doshi P Dinesh C Doshi	462610	169482519 – 169482525	7

Date: 17th October 2024

For Siemens Limited

Ketan Thaker

Company Secretary

Siemens Limited

CIN: L28920MH1957PLC010839

Regd. Office: Birla Aurora, Level 21, Plot No. 1080, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400 030

Tel.: +91 22 6251 7000

Website: www.siemens.co.in

Email / Contact: Corporate-Secretariat.in@siemens.com / www.siemens.co.in/contact

🔝 पंजाब नैसनल बैंक	Branch Office :- Kallash Nagar, Distt. Karauli (Raj), Circle Sastra Bharatpur
punjab national bank	(Hindaun City Pin-322230) [PHONE NO. 8764648864, 9001977333] E Maii – bo5346@pnb.co.in
	SALE NOTICE FOR SALE OF MOVABLE PROPERTIES
E-Auction Sale Notice for Sale of Movable A	ssets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security

Interest Act, 2002 read with provise to Rule 6 (2) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described movable propert mortgaged/charged to the Secured Creditor, the constructive/physical/ symbolic possession of which has been taken by the Authorised Officer of the Bank/ Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on the date as mentioned in the table hereil below, for recovery of its dues due to the Bank/ Secured Creditor from the respective borrower (s) and guarantor (s). The reserve price and the earnest money deposit will be as mentioned in the table below against the respective borrower (s). Date/Time of E-auction:- 13.11.2024 / 11:00 AM to 16:00 PM

SCHEDULE OF THE SECURED ASSETS

	Lot	Name of the Branch	Description of the movable properties Mortgaged /	(A) Date of Demand notice u/s. 13(2) of	Nature of	(B) EMD amount/	Details of any other
	10.	Details of the borrowers/guarantors	Owner's Name [mortgagers of	(B) Outstanding amount	possession & date	deposit (C) Bid increase value	encum- brance
ſ		PNB- Kailash Nagar Distt. Karauli (Raj)	Plant & Machinery Situated at factory premises VIII. Fazilabad Post		Physical Possession	A) Rs. 13.10. Lac	Not Known
١		M/S Shree Nidhi Enterprises	Mandawara Hindaun city 322230 (A) 22-A telephone colony tonk Pathak Ial kothi Jaipur -302015	(Do Tuesche Theory Lolch		B) Rs. 1.31 Lac 11.11.2024	ruiowii
١		Borrower: Girlsh Pathak	(B) Vill. Fazilabad Post Mandawara Hindaun city 322230	and Eighty Nine Palsa only) + further interest		C) Rs. 50,000/-	

TERMS AND CONDITIONS—The sale shall be subject to the Terms & Conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 and to the following further conditions: 1. The properties are being sold on AS IS WHERE IS BASIS and "AS IS WHAT IS BASIS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" 2. The particulars of Secured Assets specified in the Schedule hereinabove have been stated to the best of the Information of the Authorised Officer, but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation. 3. The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the Website https://www.msteecommerce.com on above mentioned data. For detailed term and conditions of the sale, please refer https://www.msteecommerce.com/, www.pnbindia.in

Authorized Officer

Date: 15.10.2024

STATUTORY SALE NOTICE UNDER

Business Standard



GLA UNIVERSITY MATHURA TO HOST ANNUAL LEADERSHIP SUMMIT 2024 ON RESKILLING AND UPSKILLING LEADING THE FUTURE: THE POWER OF RESKILLING AND UPSKILLING -A MEGA EVENT SCHEDULED FOR OCTOBER 26, 2024

Mathura Chapter and the Indian Council of Social Science Research (ICSSR), is set to organise the highly anticipated GLA Annual Leadership Summit 2024 on October 26. The event will bring together thought leaders, HR professionals, and industry experts to explore the critical theme of "Leading the Future: The Power of Reskilling and Upskilling."

In a rapidly evolving business landscape marked by technological advancements, the summit will highlight continuous learning as a key driver for preparing a future-ready workforce. The event aims to shift the focus from traditional discussions to interactive sessions that foster innovative thinking and collaborative problem-solving, equipping organisations to navigate the demands of the

The summit will kick off with an inaugural session that underscores the need for reskilling and upskilling as vital strategies for enhancing employability, fostering organisational agility, and driving sustainable growth. Department-specific tracks will follow, led by the Institute of Business Management, the Department of Computer Science and Engineering, and the Institute of Legal Studies & Research. These tracks will address emerging issues in skill development across management. technology, and legal domains.

The valedictory session will conclude the summit by reflecting on the valuable insights shared, with a focus on strategies to empower organisations and individuals to remain resilient in the face of change.

The summit will host prominent guests from leading companies, including Lloyds Banking Group, KPMG, Atlassian, LG Electronics, HDFC Ergo, Jakson Group,

GLA University Mathura, in collaboration Meridian Solutions Gurugram and many with the National HRD Network (NHRDN) others, ensuring a diverse representation from various industries.

> The Chief Patrons for the event are Shri Narayan Das Agarwal, Chancellor; Shri Neeraj Agarwal, CEO; Shri Vivek Agarwal, CFO and Prof Anup Kumar Gupta, Pro-Vice Chancelor of GLA University. Summit Convenors include Prof Anurag Singh, Director Institute of Business Management, Prof Ashok Bhansali, Dean, Department of Computer Science and Engineering and Prof Somesh Dhamiia, Dean, Institute of Legal Studies & Research.

> The event promises to be a significant platform for exchanging ideas and setting a course for future growth, positioning GLA University as a leader in promoting lifelong learning and workforce development.



FEDERAL BANK

Branch Nirman Vihar

Branch Shifting Intimation

Customers are hereby informed that our branch at Nirman Vihar will be shifted to "E -360. Ground Floor Nirman Vihar, New Delhi 110092" shortly.

As part of shifting, safe deposit lockers will also be shifted to the new premises. Customers may take steps to remove fragile items from the lockers, if any, before 13/12/2024.

Kindly contact the branch for further details

For Federal Bank Limited Place: New Delhi **Branch Head**

केनरा बैंक Canara Bank ❖ सिंडिकेट Syndicate

BRANCH OFFICE:- SCO 311-312, SECTOR 35-B, CHANDIGARH-160036 **DEMAND NOTICE**

DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT **OF SECURITY INTEREST ACT, 2002**

Date: 01.10.2024

Borrower(s):- (1) Mr. Ashish Kumar Shukla S/o Sh. Maheshwar Nath Shukla, Hous No. 504D, Shiva Énclave, Village Bhabat, Tehsil Zirakpur, Distt. Mohali - 140603 (2) Mr Ashish Kumar Shukla S/o Sh. Maheshwar Nath Shukla, H. No. 174, BDC, Sector 26 Chandigarh - 160026 (3) Mr. Ashish Kumar Shukla S/o Sh. Maheshwar Nath Shukla House No. 766/A, Phase-I, Chandigarh - 160002. Co-Borrower(s):- (1) Mrs Amarawati W/o Sh. Maheshwar Nath Shukla, House No. 504D, Shiva Enclave, Village Bhabat, Tehsil Zirakpur, Distt. Mohali - 140603 (2) Mrs. Amarawati W/o Sh Maheshwar Nath Shukla, H. No. 174, BDC, Sector 26, Chandigarh - 160026 (3) Mrs Amarawati W/o Sh. Maheshwar Nath Shukla, G-120, G Block, Jhuggi Cluster Maya Pun, S.O. South West Delhi - 110064.

Loan No. / Nature of Loan	Loan Amount	Liability with intt. as on Date	Rate of Interest (per Year)				
96549730000069 / Housing Loan	Rs. 21,00,000/-	Rs. 19,82,198.24	9.25% + 2% (Penal Interest)				
The above said loan / credit facilities are duly secured by way of mortgage / hypothecation							

of the assets more specifically described in the schedule hereunder, by virtue of the relevant documents executed by you in our favour. Since you had failed to discharge your liabilities as per the terms and conditions stipulated, the Bank has classified the debt as NPA on 28.09.2024. Hence, we hereby issue this notice to you under Section 13(2) of the subject Act calling upon you to discharge the entire liability of Rs. 19,82,198.24 together with further interest and incidental expenses and costs, within sixty days from the date of the notice, failing which we shall exercise all or any of the rights under section 13(4) of the

Further, you are hereby restrained from dealing with any of the secured assets mentione in the schedule in any manner whatsoever, without or prior consent. This is without prejudice to any other rights available to us under the subject Act and / or any other law in force.
Your attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

The demand notice had also been issued to you by Registered Post Ack due to your las known address available in the Branch record.

Detailed Description to be given (Schedule of Security) Movable:- House No. 504 D, Shiva Enclave, Village Bhabat, Tehsil Zirakpur, Distt.

lohali on Khewat No. 1055, Khatoni No. 1093, Khasra No. 65//3/3(6-10), 8/1(1-6), Kitte 2, Total Land 7 Kanal - 16 Marle his share 20/1404 share i.e. 2 Marle - 2 Sarsai 66.66 sq yards owned by Sh. Ashish Kumar Shukla S/o Sh. Maheshwar Nath Shukla Boundaries as per sale Deed:- North: Other Owner, South: Road; East: Plot No 504-C; West: Plot No. 504-E. Name of Title Holder: - Sh. Ashish Kumar Shukla S/o Sh Maheshwar Nath Shukla.

Date: 17.10.2024 **AUTHORISED OFFICER** Place: Chandigarh

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला- रायपुर (छ.ग.)

// सर्व संबंधित को सचना //

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 (यथा संशोधित) के तहत् सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि मेसर्स शुभ मिनरर्ल्स प्राईवेट लिमिटेड (छेलफोरा डोलोमाईट क्वारी, प्रो. - श्री प्रतीश कुमार गोयल), ग्राम - छेलफोरा, (ब्लॉक-1), तहसील - सरिया (बरमकेला), जिला - सारंगढ़ - बिलाईगढ़ (छ.ग.) स्थित खसरा क्रमांक 206, 207/3, 208, 210/1, 211, 212, 214/3 एवं 214/4, कुल क्षेत्रफल 1.683 हेक्टेयर में प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान उत्खनन क्षमता 1,00,000 टन प्रतिवर्ष की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई बाबत् छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल में आवेदन किया गया है। उक्त परियोजना के संबंध में आपित्त / सुझाव / विचार / टीका-टिप्पणी, इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के अंदर क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ के कार्यालय में मौखिक अथवा लिखित रुप से कार्यालयीन समय में प्रस्तृत की जा सकती है। इस परियोजना के लिए लोक सुनवाई दिनांक - 18.11.2024, दिन-सोमवार को प्रातः 11:00 बजे से स्थल - परियोजना स्थल - आदर्श ग्राम गौठान, छेलफोरा नौघटा, तहसील -सरिया (बरमकेला), जिला-सारंगढ़ - बिलाईगढ़ (छ.ग.) में नियत की गई है। यह भी सूचित हो कि लोक सूनवाई के दौरान भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम F. No. 22-25/2020-IA.III दिनांक 14.09.2020 तथा कोरोना वाईरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु शासन द्वारा जारी समस्त दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन कराया जाना अनिवार्य होगा।

ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14 सितंबर 2006 (यथा संशोधित) के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों के अवलोकन/पठन हेतु ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट अंग्रेजी भाषा में एवं इसकी संक्षिप्त सार रिपोर्ट हिन्दी एवं अंग्रेजी तथा सी. डी. (सॉफ्ट कॉपी) कार्यालय कलेक्टर, जिला - सारंगढ़ - बिलाईगढ़, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सारंगढ-बिलाईगढ़, कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सारंगढ़ - बिलाईगढ़, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़, जिला सारंगढ़ - बिलाईगढ़, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल टी. व्ही. टॉवर रोड रायगढ़, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत - बरमकेला, जिला सारंगढ - बिलाईगढ, सरपंच / सचिव कार्यालय ग्राम पंचायत-कटंगपाली, साल्हेओना, बिलाईगढ़, नौघटा, बुदबुदा, धोबनीपाली, मानिकपुर, बरगांव, बोन्दा, गोबरसिंहा, तहसील - सरिया / बरमकेला, जिला- सारंगढ़ - बिलाईगढ़ (छ.ग.) डायरेक्टर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर एवं मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉके, सेक्टर-19, नवा रायपुर (छ. ग.) में रखी हुई है।

सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला- रायपुर (छ.ग.)

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेत्)

जब कि. सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड जाना जाता था) ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट. 2002 (2002 का 54) ("उक्त एक्ट") और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 (उक्त रूल्स) के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार, गारंटर और गिरवीकर्ता श्रीधर भैरवी और तुलसी भैरवी को कर्ज खाता नं.HHLNOD00364961 के तहत दिनांक 19.06.2021 की सचना में 17.06.2021 तक उल्लिखित राशि जो रू.58.43.940.22 (रूपए अडावन लाख तैंतालीस हजार नौ सौ चालीस और बाईस पैसे मात्र) है को उक्त सुविधा के संबंध में 18.06.2021 से भुगतान / वसूली तक अतिरिक्त ब्याज और दंडात्मक ब्याज के साथ, उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60

दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी। और जब कि बाद में, आईएचएफएल ने दिनांक 30.09.2021 के असाइनमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से आईएचएफएल द्वारा कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता को दी गई सुविधाओं से उत्पन्न कर्जदार /गारंटर / गिरवीकर्ता द्वारा देय और देय ऋणों के संबंध में अपने सभी अधिकार, शीर्षक, ब्याज और लाभ अंतर्निहित प्रतिभूतियों के साथ ईएआरसी ट्रस्ट - एससी 439 के ट्रस्टी के रूप में एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को सौंप दिए हैं।

इसके बाद में, एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने ईएआरसी ट्रस्ट - एससी 439 के ट्रस्टी के रूप में दिनांक 02.11.2023 के असाइनमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से आईएचएफएल द्वारा कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता को दी गई सविधाओं से उत्पन्न कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता द्वारा देय और देय ऋणों के संबंध में सिक्योरिटी रिसिप्ट धारको के लाभ के लिए **एआरसीआईएल-सीपीएस-IV, ट्रस्ट ("एआरसीआईएल")** के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए अपने सभी अधिकार, शीर्षक, ब्याज और लाभ अंतर्निहित प्रतिभृतियों के साथ एसेट रिकंस्टक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड को सौंप दिए हैं । इसलिए, उक्त असाइनमेंट को ध्यान में रखते हुए, एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के स्थान पर अब एआरसीआईएल को रखा गया है और एआरसीआईएल कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता के खिलाफ सभी और किसी भी कार्यवाही को शरू करने / जारी रखने और वित्तीय दस्तावेजों के तहत अधिकारों और लाभों को लाग् करने की हकदार होगी, जिसमें कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता द्वारा प्राप्त की गई उक्त सुविधाओं के लिए निष्पादित और बनाए गए सुरक्षा हित को लागू करना भी शामिल है ।

एआरसीआईएल को उक्त धनराशि चुकता करने में कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता के विफल रहने पर एतदुद्धारा विशेषत: कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, एआरसीआईएल के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अभोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की भारा 13 की उप-भारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15.10.2024 पर, नीचे वर्णित सुरक्षित संपत्तियों पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता और सर्व सामान्य जनता को निचे उल्लेखित सुरक्षित संपत्तियों के साथ लेनदेन न करने के लिए आगाह किया जाता है और सुरक्षित संपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन 25.09.2024 तक रू.84.26.502.17 (रूपए चौरासी लाख छब्बीस हजार पाँच सौ दो और सन्नह पैसे मान्न) की राशि के उक्त सुविधा के संबंध में 26.09.2024 से भुगतान / वसूली तक सभी आकस्मिक लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज के साथ एआ र सीआईएल के शुल्क के अधीन होगा । नीचे उल्लिखित सुरक्षित संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है ।

अचल संपत्ति का विवरण

यूनिट नं. 402, कुल क्षेत्र मापित 1315 स्क्वेर फुट (सुपर एरिया), चौथी मंजिल, टावर डिलाइट, सिक्का कामना ग्रीन्स, जीएच-03/बी सेक्टर-143बी, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश ।

दिनांक : 15.10.2024 स्थान : नोएडा

प्राधिकत अधिकारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (एआरसीआईएल-सीपीएस-।∨ ट्रस्ट के ट्रस्टी)

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जब कि.

एडलवाइस एसेट रिवंतस्ट्रवन्शन वंत्रपनी लिमिटेड ("ईएआरसी") ने (CIN:U67100MH2007PLC174759) सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 (2002 का 54) ("उक्त एक्ट") और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 (उक्त रूल्स) के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार, गारंटर और गिरवीकर्ता अर्रिदम भट्टाचार्जी और देबलीना बिस्वास के कर्ज खाता नं. HHLNOD00367563 के तहत दिनांक 28.02.2022 की सूचना में 02.02.2022 तक उल्लिखित राशि जो रू.54.46.303.63 (रूपए चौवन लाख छियालीस हजार तीन सौ तीन और तिरसट पैसे मात्र) है को उक्त सुविधा के संबंध में 03.02.2022 से भुगतान / वसूली तक अतिरिक्त ब्याज और दंडात्मक ब्याज के साथ, उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सचना जारी की थी ।

और जब कि बाद में, एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रवशन कंपनी लिमिटेड ने ईएआरसी ट्रस्ट - ईएआरसी ट्रस्ट -एससी 439 के ट्रस्टी के रूप में दिनांक 02.11.2023 के असाइनमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पूर्व में इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) द्वारा कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता को दी गई सुविधाओं से उत्पन्न कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता द्वारा देय और देय ऋणों के संबंध मे सिक्योरिटी रिसिप्ट धारको के लाभ के लि**ए एआरसीआईएल-सीपीएस-Ⅳ, ट्रस्ट ("एआरसीआईएल")** के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए अपने सभी अधिकार, शीर्षक, ब्याज और लाभ अंतर्निहित प्रतिभृतियों के साथ **एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड** को सौंप दिए हैं । इसलिए, उक्त असाइनमेंट को ध्यान में रखते हुए, एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के स्थान पर अब एआरसीआईएल के रखा गया है और **एआरसीआईएल** कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता के खिलाफ सभी और किसी भी कार्यवाद्मी को शुरू करने / जारी रखने और वित्तीय दस्तावेजों के तहत अधिकारों और लाभों को लागू करने की हकदार होगी, जिसमें कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता द्वारा प्राप्त की गई उक्त सुविधाओं के लिए निष्पादित और बनाए गए सुरक्षा हित को लागु करना भी शामिल है ।

एआरसीआईएल को उक्त धनराशि चुकता करने में कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता के विफल रहने पर एतद्द्वार विशेषत: कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, **एआ रसीआईएल** के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15.10.2024 पर, नीचे वर्णित सुरक्षित संपत्तियों पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता और सर्व सामान्य जनता को निचे उल्लेखित सुरक्षित संपत्तियों के साथ लेनदेन न करने के लिए आगाइ किया जाता है और सरक्षित संपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन 23.09.2024 तक रू.73,58,258.37 (रूप**ए तिहत्तर लाख अड्डावन हजार दो सौ अड्डावन और सैंतीस पैसे** मात्र) की राशि के उक्त सुविधा के संबंध में 24.09.2024 से भुगतान / वसूली तक सभी आकस्मिक लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज के साथ **एआ र सीआईएल** के शुल्क के अधीन होगा ।

नीचे उल्लिखित सरक्षित संपत्तियों को छुडाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में कर्जदार / गारंटर / गिरवीकत का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है ।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति का स्वामित्वः अरिंदम भट्टाचार्जी और देबलीना बिस्वास

यूनिट नं. 1804, अठारहवीं मंजिल, टावर जॉली, मापित 1150 स्ववे. फीट (सुपर एरिया), एक कवर्ड का पार्किंग के साथ, सिक्का कामना ग्रीन्स से पहचाने जानेवाली परियोजना,, जीएच-03/बी, सेक्टर143बी, नोएडा-२०१३०१ उत्तर प्रदेश।

प्राधिकत अधिकारी

दिनांक:15.10.2024 स्थान :नोएडा

एसेट रिकंस्ट्रवशन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (एआरसीआईएल-सीपीएस-IV ट्रस्ट के ट्रस्टी)

पब्लिक नोटिस

मैं / हम, संदीप कमार जैन पत्र राजिंदर कमार और तुषार दीप जैन पुत्र संदीप कुमार जैन एक बंधक, अर्थात् एक सममक्ष बंधक बनाने इरादा रखते हैं, जो कि संपत्ति के लेमिनेटेड मूल शीर्षक दस्तावेजों पर आघारित है, जिसका नंबर 301, ब्लॉक नंबर C-2 जनकपुरी, नई दिल्ली है, और जो संदीप कुमार जैन पुत्र राजिंदर कुमार जैन और तुषार दीप जैन पुत्र संदीप कुमार जैन के नाम पर है। संबंधित संपत्ति के मूल दस्तावेज निम्नलिखित हैं:

- DDA द्वारा श्री राजिंदर कुमार जैन पुत्र श्री बाबू लाल जैन के पक्ष में जारी आवंटन पुत्र दिनांक 05.09.1968।
- DDA द्वारा श्री राजिंदर कुमार जैन पुत्र श्री बाबू लाल जैन के पक्ष में संपत्ति का निरस्त स्थाई पटटा, निनांक 25.04.1972। पटटा दस्तावेज संख्या ११४१७, पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या 1775, पृष्ठ संख्या 1–6 के रूप में पंजीकृत है, जो 09.08.1972 को पंजीकृत हुआ।
- DDA द्वारा श्री राजिंदर कुमार जैन पुत्र श्री बाबू लाल जैन के पक्ष में संपत्ति का अंतरण पत्र दिंनांक 26.06.2003। दस्तावेज संख्या ७९५३, पुस्तक संख्या १, खंड संख्या 10974, पृष्ठ संख्या 104-108 के रूप में पंजीकृत है, जो 27.06.2003 को पंजीकृत हुआ।

हम मारतीय स्टेट बैंक, एसएमई आसफ अली रोड शाखा कोड–62203 से ऋण/ क्रेडिट सुविधा प्राप्प करने के लिए के एक बंधक बनाना चाहते हैं। यदि किसी पक्ष को संबंधित संपत्ति के संबंध में कोई दावा है, तो वह इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर इच्छक पार्टी और उपरोक्त भारतीय स्टेट बैंक शखा में दर्ज कराया जाना चाहिए।

(a) pnb Housing

परिशिष्ट — 4— क अचल सम्प्रति(औ) की र्रू — नीलामी बिक्री सूचना वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई—नीलामी बिक्री सूचन पंजीकृत कार्यांजय :-9 वीं मंजिल, अंतरिक्ष मवन, 22, के जी मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन:-011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com फरीदाबाद शाखाः पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एससीओ नंबर-136, प्रथम तल, हुडा मार्केट, इलाहाबाद बैंक के ऊपर, सेक्टर-21 सी, फरीदाबाद, हरियाणा-121003

एतदहारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कालम नंबर — ए में निर्दिशित कर्जदार(थी) एवं गाएंटर(थी) को पूचना दी जाती है, कि प्रत्यामत लेनदार के प्राप्त बंबक /प्रमाशित कालम नंबर—की में वृणित अचल सम्पत्ति(या), जिसका प्रतिक्षित / भौतिक कब्यू प्राप्त के स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के

बिका के विस्तृत ।नयम एवं शता के लिए, कृपया मेसस पाएनबा हांचासग फाइनस लिमटंड, प्रातभूत लनदार को वबसाइट नामतः www.pnonousing.com म चंपलब्ध कराया गया लिक दख										
ऋण संख्या, कर्जदार/	मांग सूचना	कब्जा	बंधक रखी सम्पत्तिओं का	आरक्षित	् ईएमुडी	बोली प्रस्तुत	्बोली	निरीक्षण की	नीलामी	ज्ञात ऋणभार/
सह—कर्जदार का नाम गारंटर(§) (ए)	मांग सूचना मांग की राशि और तारीख (बी)	का प्रकार (सी)	विवरण (डी)	मूल्य (आरपी) (ई)	(आरपी का 10%) (एफ)	करने की ॲंतिम विधि (जी)	वृद्धि राशि (एच)	तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की विश्वि एवं समय (जे)	न्यायालय मामला, यदि कोई, (के)
HOU/FBD/0718/558716,	11.10.2023 तक	भौतिक	1402.0,14.0, टावर ए1 (जी), फ्लोरिडा (हुडा अफोर्डेबल पॉलिसी 2013	₹.	₹.	21.11.2024	-	04.11.2024	22 11 2024	
बी.ओ. फरीदाबाद, संदीप शाह /मीसमी चक्रवती	₹.2264738.48	कब्जा	के तहत), सेक्टर 82, फरीदाबाद, हरियाणा, भारत—121001	2075000	207500		10000	पूर्वी.10.00 अप. 5.30	अप.02.00 अप.03.00	Not Known
	तेथि तक लाग अनसार	18 प्रतिशत वा	र्षिक की दर पर मावी ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चों, लागत, प्रमारों इत्या	दि सहित । ''पी	एनबी हाउसिंग	। फाइनैंस लिमिटेड	के प्राधिकत	अधिकरी के स	र्वश्रेष्ठ ज्ञान और	जानकारी के

ैउसके बुगतान तथा / अथवा वस्ती की तिथि तक लागू अनुसार 16 प्रतिशत वार्षिक की दर पर माबी ब्याज उपगात किए गए अनुसंगी खर्चों, लागत, प्रमारों इत्यादि सहित। "पीएनबी हाउसिंग फाइनैस लिमिटेड के प्राविक्त अधिकरों के सर्वश्र में कोई अल्य ऋणुमार / दावे नहीं हैं, सिवाय उनके जो किए नांचर-के में विणित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन ऋणमारों का भुगतान / अदायगी सफल क्रेता / बोलीदाता हारा उसकी अपनी ब्याज की जाएंगी। मिक्फल क्रेता(अ) निक्री लिसिटान के सर्वश्र में कोई अतिक्त आदिकरों के सर्वश्र में कहिं का अमिनेट्ययन स्वतंत्र कर में विणित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन ऋणमारों का भुगतान / अदायगी सफल क्रेता / बोलीदाता हारा उसकी अपनी की जाएंगी। मिक्फल केता(अ) निक्रीलादालां से विणित ऋणमारों के सरवात का अभिनेट्ययन स्वतंत्र कर में विणित का अपनी हों हो। 1. आज की तिथि तक पीएनबीएचएफएल / पीएनबीएचएफएल अध्यवा न्यायालय निक्षादेश लागू नहीं है। 2. संभावित कालम नंबर-के में विणित, कार्यवाही / पारित आदेश इत्यादि, यदि कोई, में बहुत, जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास प्रजब्ध उसके स्वामित्व के साथ संबंधित दस्ताविजों का शीर्षक हो। 2. संभावित कि सीमित नहीं है, का निविद्याल स्वतंत्र कर भें क्षण में स्वतंत्र कर भी स्वित स्वतंत्र कर भी स्वित स्वतंत्र कर भी कार में अपनी मोर्चक अपनी है। विजित का सीमित नहीं है, का निविद्याल संवतंत्र कर भी स्वतंत्र अपनी है। विज्ञ स्वतंत्र कर भी स्वतंत्र कर से पास संवित के साथ संबंधित उसकी के तियाल के साथ संवित है। या अपनी अपने का स्वतंत्र कर से साथ है। या अपनी की निवत्र में अपनी में विज्ञ के साथ संवित का मित्र के सित्र स्वतंत्र के सित्र से सित्र के सित्र के

उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता(ओं) के नाम / पते

(1) **पैसर्स श्री लाल जी अपैरल्स (उघारकर्ता)** 188—सी, ओल्ड गुप्ता कॉलोनी, दिल्ली : 110009,

(2) श्री राधव चोपड़ा (सह-उधारकर्ता) कृपाल आश्रम, 9/38 ए विजय नगर डबल स्टोरी विजय

गगर, उत्तर पश्चिम दिल्ली— 110009, **(3) मैसर्स डॉली अपैरल्स (सह—उद्यारकर्ता)** प्रथम, ए—87/3

टेडिंग कंपनी (सह—खधारकर्ता) द्वितीय तल मकान नं. 188सी, परानी गप्ता कॉलोनी, नई दिल्ली,

रिसंपत्ति का विक्रय, पद्रा के माध्यम से अथवा अन्यथा इस्तांतरण नहीं करेगा।

कर्जदाता (ओं) का नाम

पूजा (सह–उधारकर्ता, स्वर्गीय

एंजेल (स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार की

नाबालिंग बेटी और प्राकृतिक

संरक्षक के माध्यम से काननी

नाबालिग बेटा और प्राकृतिक

संरक्षक के माध्यम से कानूनी

यशवधन (स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार का

वीरेंद्र कुमार की पत्नी और कानूनी

दिनाँक : 09/10/2024, स्थान : नई दिल्ली

HLLASON00540813

उत्तराधिकारी)

उत्तराधिकारी)

करने के लिए कंपनी पात्र होगी।

प्रतिबंधित हैं।

स्थान : सोनीपत

अनु

1. कर्ज खाता क्र.

ल बाग औद्योगिक क्षेत्र, हंस सिनेमा के पास, आजादपुर, दिल्ली 110033, **(4) मैसर्स आरडीएम**

त्तर पश्चिम दिल्ली — 110009, **(5) श्री मुकेश चोपड़ा (सह—उधारकती)** 188—सी, मीरा बाई पार्क,

पुरानी गुला कॉलोनी, दिल्ली : 110009, **(६) सुभी डॉली चोपड़ा (सह-उचारकर्ता)** 188-सी, गैरा बाई पार्क, पुरानी गुला कॉलोनी, दिल्ली : 110009

ANAND RATHI

प्राधिकृत अधिकारी, मैसर्स पीएनबी हार्डसंग फाइनैंस लिमिटेड

बकाया राशि : रु. 48,09,209 /

4,494,261

237,171

4,719 37,258 10,000

1,100 24,700

48,09,209

आरओआई

बकाया मूलधन

लंबित ईएमआई राशि खंडित अवधि ब्याज

अति देय ब्याज

विधिक शल्क

कुल बकाया

हस्ता./-, आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड, प्राधिकृत अधिका

बकाया राशि

(स्र.) (डी)

सत्ताईस लाख इक्यावन हजार छह

सौ उनतालीस और बत्तीस पैसे

मात्र) 27.09.2024 के अनुसार

रु. 27,51,639.32/- (रुपए

आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड

एक्सप्रेस जोन, ए विंग, 10वां तल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तिरछे रूप में ओबरॉय मॉल के सम्मुख, गोरेगांव (पू.), मुंबई - 400 083 भारत

महां नीचे तालिका में उल्लिखित उधारकर्ताओं /सह—उधारकर्ताओं ने आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड से वित्तीय सहायता प्राप्त व

गकस्मिक व्ययों, लागत, शुल्कों, इत्यादि के साथ, सूचनाओं की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, प्रतिभुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बाद भी, उधारकर्ताओं / सह–उधारकर्ताओं ने देय तिथियों के अनुसार व्याज एवं मूलधन राशि के पुनर्मुनतान में विभिन्न चूके व हैं। कलतः खाता को भारतीय रिजर्थ बैंक द्वारा निर्गत निर्देशों / दिशानिर्देशों के अनुसार यहां नीचे उदिलक्षित संबंधित तिथियों पर अनिप्पादनकारी परिसंपत्ति के रू

ां वर्गीकृत कर दिया गया है। आनंद राठी ग्लोबल फाइनेस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हिट

प्रवर्तन अधिनियम २००२ के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति के प्रयोगांतर्गत

सरफॉएसि अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अतर्गत यहां इसमें निम्न तालिका में उल्लिखित संबंधित तिथियों पर माँग सूचनाये निर्गत की हैं, जिनमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं / बंधककर्ताओं को सूचना में उल्लिखित राशि का, भुगतान की तिथि तक, सूचनाओं में अंकित राशि पर संविदागत दर पर नियत मागी ब्याज तथ

संपत्ति का पता : संपत्ति सख्या सी–188 का हिस्सा, द्वितीय तल (पश्चिमी भाग), बिना छत के, भूमि सं. 46 खसरा सं. 227/1, 228/11, पुरानी गुप्ता कॉलोनी, गांव राजपुर छाव-दिल्ली : 110009, **सीमा :- पूर्व :** अन्य की संपत्ति, **पश्चिम** : संपत्ति सं. 118-बी, **चत्तर** : सड़क 20 फीट, **दक्षिण :** सड़क 20 फीट।

उपर्युक्त परिस्थितियों में, एतदद्वारा ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं एवं सह-उधारकर्ताओं को सचित किया जाता है कि वे इस सचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अद

भविष्य के ब्याज एवं लागू शुल्कों के साथ ऊपर अकितानुसार बकाया राशि का भुगतान कर दें। मुगतान करने में विफल रहने पर इस सूचना की तिथि के 60 दिवसों के समाप-के पश्चाल, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(4) तथा वहां उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के अंतर्गत

ध्यारकर्ताओं एवं बंधककर्ताओं की प्रतिभूत परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने सहित प्रतिभूत परिसंपत्तियों के समक्ष अग्र कार्रवाइयां की जायेंगी। यदि आप इस सचना के प्रत्यत्तर

बिल्डिंग वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईचे रोड गोरेगांव (पवी मंबई-400063 के पते पर भेजें ताकि इससे हम समय पर प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो सकें। कपया ध्यान दें कि हम जस स्थिरि

बारुन, क्टन एक्सान हाइच राइ, गाराम (दूप), बुबर-मध्यापक के बत र नेज, ताकि इतन इन तम्ब प आताक्रया व न मुंतन हा कि में इस सूचना के प्रत्युक्त में आपके किसी भी अध्यावेदन का प्रति उत्तर न देने के विग्ने उत्तरावा मही होंगे, यदि प्रतुक्त किसी अप व्यक्ति अध्या रखान को संवीवित होता है कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत, कोई भी उधारकर्ता, प्रतिभूत ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना, सूचना में संदर्भित अपनी किसी भी प्रतिभूत

सिक्योरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

गिरवी संपत्ति(यों)

का विवरण

एमआईजी हाउस 2732-जीएफ, प्रोपर्टी

कॉलोनी में स्थित है, सेक्टर 23, एम.सी.

कि ऊपर लिखे नाम वाला उद्यार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आग

उधार लेने वाले(लॉ) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले(लॉ) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा

सीमांकित मापदंडों के मीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतदद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के

दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भूगतान करके कंपनी के प्रति

बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित

करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सुचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा

किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से

निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता'' ।

सरफेसी अघिनियमन की उपधारा 13(2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित

संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से

बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है ।

आईडी–1JEO4AL2, हाउसिंग बोर्ड

सीमा के अंदर तहसील और जिला

सोनीपत–131001, हरियाणा ।

नोई भी अभ्यावेदन देने के इच्छुक हैं, तो कृपया इसे हमारे प्राधिकृत अधिकारी श्री अभिषेक चंद को आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड, 8वां तल,

एनपीए तिथि

02/10/2024

APPL00001006

03.09.2024

किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., नानौता (सहारनपुर)

निविदा सूचना

इस चीनी मिल समिति में पेराई सत्र 2024 -25 हेतु आवश्यकतानुसार अकुशल कर्मचारियों व सूरक्षा कमियाँ के ऑऊटसोर्सिंग के माध्यम से प्रापूर्ति हेतु पोर्टल Gem.Gov.in के माध्यम से निविदाएं आमन्त्रित की जाती है ।

प्रधान प्रबन्धक



ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड

सीआईएनः L85110DL2004PLC128319

पंजीकृत कार्यालयः मेदांता – मेडिक्लिनिक, ई-18, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली -110 024 कॉर्पोरेट कार्यालयः मेदांता - द मेडिसिटी, सेक्टर - 38, गुरुग्राम, हरियाणा - 122 001 टेलीफोनः +91 124 483 4060; ई-मेलः compliance@medanta.org; वेबसाइटः https://www.medanta.org

> नेशनल कम्पनी लॉ टिब्युनल, नई दिल्ली, कोर्ट-V के समक्ष कम्पनी याचिका संख्या (सीएए)-70/230-232/एनडी/2024 से संबंधित

कम्पनी आवेदन संख्या (सीएए)—58/230—232/एनडी/2024

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 एवं अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (समझौते, व्यवस्था (ठहराव) और समामेलन) नियम, 2016 मामले में

मेदांता होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (अंतरक कम्पनी / याचिकाकर्ता कम्पनी 1)

ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड

(अंतरिती कम्पनी / याचिकाकर्ता कम्पनी 2)

उनके संबंधित शेयरधारकों एवं लेनदारों के मध्य

समामेलन की योजना के मामले में

[संक्षिप्तता हेतु याचिकाकर्ता कम्पनी 1 और याचिकाकर्ता कम्पनी 2 को इसके पश्चात् सामूहिक रूप

से "याचिकाकर्ता कम्पनियों") कहा गया है] याचिका की सुनवाई की सूचना

मेदांता होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड तथा उनके संबंधित शेयरधारकों एवं लेनदारों के साथ समामेलन को अवतीर्ण करने वाली समामेलन की योजना ("योजना") के अनुमोदन प्राप्त करने हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 एवं अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत एक याचिका याचिकाकर्ता कम्पनियों द्वारा 14 अगस्त, 2024 को प्रस्तुत की गई थी एवं 4 सितम्बर, 2024 को सुनवाई हुई। 4 सितम्बर, 2024 दिनांकित आदेश के अनुसार, उक्त याचिका बुधवार, 20 नवम्बर, 2024 को नई दिल्ली स्थित माननीय नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल की बेंच-V के समक्ष सुनवाई हेत् तय है।

उक्त याचिका का समर्थन या विरोध करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को, याचिकाकर्ता कम्पनियों के वकील को, अपने वकील द्वारा हस्ताक्षरित अपने इरादे की सूचना, अपने नाम एवं पते के साथ इस तरह से भेजनी चाहिए कि वह याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि से कम से कम दो (2) दिन पहले एकोम लीगल, जी−29, भूतल, लाजपत नगर-॥, नई दिल्ली-110024 पर याचिकाकर्ता कम्पनियों के वकील के पास पहुँच जाए। यदि ऐसा व्यक्ति याचिका का विरोध करना चाहता है, तो विरोध के आधार या उसके हलफनामे की एक प्रति ऐसी सूचना के साथ प्रस्तुत की जाए। याचिका की एक प्रति नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर किसी भी व्यक्ति को, उसकी आवश्यकता पर प्रदान की जाएगी।

> याचिकाकर्ता कम्पनी 1 के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

दिनांकः 17 अक्टूबर, 2024

स्थानः गुरुग्राम

हस्ताक्षर याचिकाकर्ता कम्पनी 2 के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

कायालय वसूली अधिकारी–प्रथम

लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है ।

ऋण वसूली अधिकरण, प्रथम तल, सुधरमा-।।, किसान भवन के सामने, लाल कोठी, शॉपिंग सेन्टर, टॉक रोड़, जयपुर (राजस्थान) (क्षेत्राधिकार राजस्थान राज्य) फार्म संख्या 13

(आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत)

वसूली प्रमाण पत्र संख्या : 85/2015 प्रकरण का शीर्षक :

	$\overline{}$
नोटिस न्यायालय सूचना पट्ट (बैंक द्वारा)	08.10.2024
नोटिस मौके पर (रिसीवर अधिवक्ता एवं बैंक द्वारा)	18.10.2024
निरीक्षण की तिथि (रिसीवर अधिवक्ता द्वारा)	05.11.2024
अमानत राशि जमा एवं रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि	11.11.2024
ई-ऑक्शन	18.11.2024
रिपोर्ट	22.11.2024

इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेर

प्राधिकत अधिकारी

सेंट्रल बेंक ऑफ इंडिया बनाम पिंक सिटी इंफ्रास्ट्रक्वर व अन्य |

विक्रय की उदघोषणा

यह कि माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के द्वारा एक वसूली प्रमाण पत्र संख्या 85/2015 जो कि मूल आवेवन संख्या 89/2014 में विनांक 28.05. 2015 को सभी प्रतिवादीगण के विरुद्ध राशि रुपये 5,21,88,451/- की वसूली हेतु जारी किया गया है, जो राशि प्रमाण पत्र के अनुसार ब्याज, वाद ब्यय एवं खर्ची सहित वसूल किये जाने योग्य है।

तथा यह कि उपोड़स्ताक्षरकर्ता के द्वारा संलग्न अनुसूचि में वर्णित बन्धकशुदा सम्पत्ति को प्रमाण पत्र की सन्तुष्टि हेतु विक्रय किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। तथा यह कि वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार मविष्य का ब्याज, वाद व्यय खर्चों सहित (वसूली की हुई राशि समायोजन होने के पश्चात) राशि बकाया है। एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि किसी स्थगन आदेश की अनुपश्चित में सन्दर्भित सम्पत्ति का विक्रय दिनांक 18.11.2024 को CI India Pvt. Ltd. कार्यात

एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि किसी स्थान आदेश की अनुपंत्रियों से सन्विषित सम्योत का विकार विनार 18.11.2024 को C1 India Pvt. Ltd. कायांत्रच 3rd Floor, Plot No. 68, Sector-44, Gurgaon, 122003 Haryana, India, Contact No. Bhavik Pandya - 8866682937, Mobile No. +91.7291891124/25/26 and Vinod Kumar - 8866682931 वेबसाइंट <u>www.bankeauctions.com</u> पर 11 AM से 3 PM तक किया जावेगा। वोपहर 03 बजे बाव 05 मिनिट तक यदि कोई बोली नहीं इंजात है तो स्वीकार कर ली जाऐगी। कितु यदि समय 3:05 से पूर्व कोई बोली बढ़ाई जाती है तो पुन: नीलाभी समय 05 मिनट बढ़ा दिया जायेगा। यह विकाय अधिकार कर ली जाऐगी। कितु यदि समय 3:05 से पूर्व कोई बोली बढ़ाई जाती है तो पुन: नीलाभी समय 05 मिनट बढ़ा दिया जायेगा। यह विकाय अधिकार किये गये हैं, वे अप्तार पर लिया जावेगा। सम्पत्ति का विकाय अनुसूची में विये गये लॉट के अनुसार किया जावेगा। विकाय की विकाय अनुसूची में विये गये लॉट के अनुसार किया जावेगा। विकाय की किया जावेगा। विकाय के विकाय की विकाय से वसूली पश्चित का विकाय अधिकारी को अधीक विकाय के विकाय के विकाय की विकाय के उनका त्तपुर का शरू वह प्रमाण प्रस्तुताकया जाता है कि प्रमाण पत्र की राशि ब्याज व खर्चे सिहत आंहरताबारकर्ता को अदा कर दी गई है तो विकार जेव पर दो जाता है थी हेतु जनसाधारण को स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधी के जरिये बोली लगाने हेतु आमंत्रित किया जाता है। किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस विक्रय के संबंध में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपना कर्तव्य निर्वेहन कर रहा है, के द्वारा किसी भी रूप में इस सम्पत्ति के विक्रय में बोली में अथवा सम्पत्ति के अर्जन अथवा अर्जन के प्रयास में बाग नहीं लिया जावेगा। विक्रय आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में वर्णित शर्तो तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमों एवं निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो के अध्यवीन होगा:-(1) सल्तेन सूची में दिये गये विवरण अधोहरताबारकर्ता को प्राप्त श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार अंकित है किन्तु अधोहरताबारकर्ता उत्तरी सुदि, असत्य अथवा चूक के लिये कर्त्य उत्तरपदाची नहीं होगा।

ियं कतर्ष उत्तरपदायी नहीं होगा।
(२) सम्पत्ति का आरक्षित मृत्य राशि रुपये 3.50 करोड़ तय किया जाता है, जिससे कम मृत्य में सम्पत्तियों का विक्रय नहीं किया जावेगा। (३) सम्पत्ति की बोली 1,00,000/- के गुणंक में बढ़ाई जाएगी तथा बोली की राशि अथवा बोलीदाता के विषय में विवाद उत्पन्न होने पर वह लांट पुरन्त ही पुनः नीलामी के लिए रख दिया जायेगा। (४) इष्सुक बोलीदाताओं को ऊपर वर्णित वेबसाईट पर पंजीकृत कराना तथा पहचान विन्ह व पासवर्ष प्राप्त करना आवश्यक होगा जो कि सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। जो बोली लगाये जाने के लिए अनिवार्य है। (६) बोलीदाता को आपक्षित मृत्य की 10 प्रतिकार ताशि तसूली अधिकारी, ऋण नसूली अधिकरण, जयपुर के पक्ष में विमाण्ड ब्राप्ट के जिससे अपना करवायी जा सकेगी- एस.डी.एफ.सी. बैंक लि., सोठाला, जयपुर, राजस्था IFSC No. HDFC0001843 में संबारित खाता संख्या 50200074019804 में जमा करवायी जा सकेगी- एस.डी.एफ.सी. बैंक लि., सोठाला, जयपुर, राजस्था IFSC No. HDFC0001843 में संबारित खाता संख्या 50200074019804 में जमा करवायी जा सकेगी। अमानत प्रति जमा करवायी जाने का प्रमाण, पेनकार्ट की सत्यापित प्रतिलिपी, परो का प्रमाण तथा प्राविकार पत्र दिवि ही कसी अन्य व्यक्ति अथवा संख्या की अरे से बोली में मान ले रहे हैं) प्रस्तुत करने होंगे, जो कि सेवा प्रदाराज के lac. C1 India Pvt. Ltd. Office at 3rd Floor, Plot No. 58, Sector-44, Gurgaon, 122003 Haryana, India, on e-mail gujarat@c1india.com & support@bankauctions.com पर मी नेज सकते हैं। उसके उपरांत नियम समय से पूर्व अधिकरण में जमा करचाई जावेगी। (६) किसी भी लोट के लिए सर्वोच्च बोलीवाता को क्रेता घोषित कर दिया जावेगा संशां के वत बाली लगाने के लिए कानूनन योग्य है एवं उसके द्वारा लगायी गयी बोली आरवित मृत्य से कम नहीं है। उच्चतम बोली को स्वीकार या अरवीकार करने का अधिकार अघोइस्ताक्षरकर्ता के विवेकाशीन होगा, यदि प्रस्तावित मृत्य स्पन्दत अपर्याद हो जिसे प्राप्त करना अनुषित हो। (?) तिखित कारणों से असोइस्ताक्षरकर्ता के विवेकाशीन होगा, यदि प्रस्तावित मृत्य स्पन्दत अपर्याद हो जिसे प्राप्त करना अनुषित हो। (?) तिखित कारणों से असोइस्ताक्षरकर्ता के वायकर अधिनियम की द्वितीय अनुसूचि के प्रावामां के अधीन किसन को स्थानित करने का अधिकार प्राप्त होगा। (७) अजल सम्पत्ति के सम्पत्ति का क्षेत्र हो प्राप्त करना की द्वितीय अनुसूच के प्रवादान सित्त के स्वाप्त के अधिन विकास करने हो। (?) तिखित कारणों से असोइस्ताक्षरकर्ता के वायकर अधिनियम की द्वितीय अनुसूचित के प्रावामों के अधीन विकास को स्वाप्त के अधिकार प्राप्त के समायि किस के हो। (शेवा परिष्वित्यों में 24 मण्टे में क्रया मृत्य की 25 प्रतिकार राशि परिष्वित्यों में 24 मण्टे में क्रया मृत्य की 25 प्रतिकार राशि मोला के सित्त के समायि किस के सम्पत्ति का क्षेत्र के के उत्तर साव साव साव का स्वाप्त की अधिकरण में जान करनी होगी। (१) नीलामी सित्त के गित्र में सित्त के प्रतिकार के स्वाप्त का स्वाप्त के एक सित्त के जान करनी होगी। विवेत अधिकरात स्वाप्त के प्रतिकार का स्वाप्त किस के मीतर भूगतान में व्यक्तिक्रम किये जाने पर सम्पत्ति विक्रय नवीन उद्योगणा जारी करके कर दिया जावेगा। (१०) ऐसी स्थिति में जामशुदा राशि के तिशी भी भाग के विवय में समी अधिकरण जाने तो विक्रय के खर्च समायित्त करने परचात प्रवित्त के विवय स्वाप्त के स्वाप्त कर के परचाति करने के परचात के प्रतिकार के विवय स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त करने के परचात करने के प्रवाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के सित्त के नित्त के विवय स्वाप्त के सित्त के निता करने के प्रत ओर से बोली में भाग ले रहे है) प्रस्तुत करने होंगे, जो कि सेवा प्रदाता की i.e. C1 India Pvt. Ltd. Office at 3rd Floor, Plot No. 58, Sector-44, Gurgaon, 12200 याद इस्कुक बालावाता इन्टरनंट कं जारिय बांली न लगा सकत है तो वं नास्त्र आधकारी/सेवाप्रदाता के माध्यम से नीलाशी में भाग ले सकते हैं। (13) प्रस्तावित बोलीवाता C1 India Pvt. Ltd. Office at 3rd Floor, Plot No. 68, Sector-44, Gurgaon, 122003 Haryana, India, Contact No. Bhavik Pandya - 8866682937, Mobile No. +91 7291891124/25/26 and Mr. Vinod kumar - 8866682931 के ऑनलाई प्रशिक्षण का लाग उठा सकते हैं। जो वेसाईट <u>www.bankeauctions.com</u> पर उपलब्ध हैं। (14) अमानत राशि जाना कराये जाने एवं पंजीयन कशर जाने इत्तर तिराय के साथ कराये जाने एवं पंजीयन कशर जाने इत्तर तिराय कराये के ताई सी चरसावित जो पंजीयन कशर जाने हेतु आवश्यक हैं, वाई सी चरसाविज्ञात के कि सी प्रवास कराये होंगे। (15) आनलाई न नीलाभी सेवाप्रदाता कि दिशा तिराय कशर जाने हैं ति अपलब्ध हैं। (14) अमानत राशिक क्षा क्षा कराये होंगे। (15) आनलाई नीलाभी सेवाप्रदाता कि दिशा तिराय करें होंगे। विश्व यदि समय 3.05 से पूर्व कोई बोली वहाई जाती है, तो पुनः नीलाभी समय 36 मिनट बढ़ा दिया जायेगा। (16) असफल बोलीवाता है। तो स्वीकार कर ली जाएंगे। किंतु यदि समय 3.05 से पूर्व कोई बोली बढ़ाई जाती है, तो पुनः नीलाभी समय 36 मिनट बढ़ा दिया जायेगा। (16) असफल बोलीवाताओं द्वारा घरोहर राशि का युगतान एव. डी.एक सी बैंक, स्वेतर के राशिक कर राशिक क्षा स्वास कर कर कि जाएंगे। किंतु यदि सोडाला, जयपुर के द्वारा अधिकरण से आदेश प्राप्त करने के उपरांत किया जायेगा ।

सम्पत्ति का विवरण अन्य सहमालिक का नाम सहित बेची जाने सम्पत्ति या उसके | किसी भी प्रकार विवाद अगर कोई है जो कि ज्ञ न शुरुगाराम पर गांग चाहरा बया जीन वाली सम्पत्ति का विवरण जहाँ सम्बन्धित व्यक्तिकर्मी जो किसी अन्य व्यक्ति से सह-मालिक है। किसी भाग पर राजस्व जिसका सम्पत्ति के संबंध में आगे आया है एवं अन्य कोई ज्ञात विशिष्टियाँ जो कि इसके मूल्य के भार का विवरण जिसके लिए मूल्यांक न किया गया है। उत्तरदायी है। एवं प्रकृति प्रभाव रखता है। (3) Lot no. 3 i.e. 3000 sq.Yard part of land situated at Khasra no. 4, Jamdoll, Agra Road, Jaipur (Property is not under possession and is currently under unauthorized occupation. Necessary orders for possession will be issued in due course Major part of the property is not under possession of DRT and is being sold on as is where is whatever basis. As per newspaper reports dharna etc. is also stayed on the site However, necessary orders for possession may be passed in due course.

be passed in due course. ऋण वसूली अधिकारी-प्रथम ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर मेरे हस्ताक्षर एवं सील द्वारा दिनांक 08.10.2024 को जारी।

एसबीएफसी फाइनैंस लिमिटेड SBFC

पंजीकृत कार्यालयः यूनिट सं. 103, पहली मंजिल, सीएंडबी स्क्वायर, संगम कॉमप्लेक्स, ग्राम चकाला, अंघेरी-कुर्ला रोड, अंघेरी (ईस्ट), मुम्बई-400059 शाखा कार्यालयः शॉप नं. 107, दून प्लाजा, गाँधी रोड, प्रिंस चौक के निकट, देहरादून - 248 001

नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

एसबीएफसी फाइनैंस लिमिटेड (पूर्व में **एसबीएफसी फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड**) के अधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लेखित कर्जदार/ों से बकाया रकम की वसूली के लिए **प्रतिगृतिकरण एवं क्तिय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिगृति हित प्रवर्तन** ाधिनियम, 2002 ("सरफेसी अधिनियम") के अधीन यहां नीचे उल्लेखित प्रत्यामृत सम्पत्ति पर कब्जा किए जाने के अनुपालन के तहत, प्रत्यामृत ऋणदाता के कब्जे में यहां नीचे उल्लेखित अचल सम्पत्ति के 'जैसे हैं जहां है के आधार पर', 'जैसे हैं जो कुछ है के आधार पर तथा 'जैसे है वहां जो कुछ है के आधार पर' क्रय करने के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा मुहरबंद लिफाफ में प्रस्ताव/बोलियां आमंत्रित की जाती हैं, जिसका विवरण नीचे उल्लेखित है:-

कर्जदार(ौ)/सह-कर्जदार(ौ) मांग सूचना की		अचल सम्पत्ति का विवरण/	म्पत्ति का विवरण/ अारक्षित		कुल बकाया रकम	
का नाम एवं पता तारीख एवं रकम		कब्जा की तारीख	मूल्य (आरपी)	(ईएमडी) (आरपी का 10%)	(16 अक्टूबर, 2024 को)	
1. थापा पोल्ट्री फॉर्म	31 अक्टूबर, 2022	मौजा अर्केडिया ग्रांट, परगना सेंट्रलदून, जिला देहरादून में स्थित खतौनी खाता	₹. 40,20,806/-	₹. 40,20,80.6/-	₹. 5833992,22/-	
2. नर बहादुर थापा	👽. 43,02,154/- (रुपये	नं. 620 (1399 से 1404 फासिल), खसरा नं. 1800/2 का हिस्सा, परिमाप	(रुपये चालीस लाख बीस	(रुपये चार लाख दो	(रुपये अनठावन लाख	
3. सीता थापा	तैंतालीस लाख दो हजार	640.47 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली सम्पत्ति का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा तथा	हजार आठ सौ छह मात्र)	हजार अस्सी एवं पैसे	तैंतीस हजार नौ सौ	
सभी का पता सेवाली, प्रेमनगर,	एक सौ चौवन मात्र)	चौहदी निम्नानुसारः		साठ मात्र)	बानवे एवं पैसे बाईस	
बड़ोवाला, अर्केडिया ग्रांट,	25 अक्टूबर, 2022 की	पूर्व : 12 फीट चौड़ी सड़क			मात्र)	
परगना सेंट्रल दून, देहरादून-248007	स्थिति के अनुसार	पश्चिम : विक्रेता से संबंधित भूमि				
		उत्तर : भगवान सिंह से संबंधित भूमि				
		दक्षिण : अन्य भूमि				
		कब्जा की भूमि: 28-03-2024				
1 हैएएटी एवं केवाईसी (स्वयं स्ट्राणित	े के साथ निर्धारित निरिताको	ली पाल में गरां क्यार सल्लेखित मुख्यालग/भाष्ट्रा कार्गालग पते पर महर्ण्ड होती	/पण्यात ज्या करने की अंति	य नाषीका २१/११/२०२४ को एक	ਰਿਕ 11 00 ਗਏ ਕੁਸ਼ਗ ਕਥਾ	

- पहले हैं। नहीं भरी हुई निविदाएं/बोलियां अथवा अंतिम तारीख के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा तथा फलस्वरूप उसे रह कर दिया जाएगा।
- ईएमडी की रकम "एसबीएफसी फाइनैंस लिमिटेड" के पक्ष में **देहरादून** में भुगतेय डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में भुगतान किया जाना चाहिए, जिसे असफल बोलीदाताओं को बिना ब्याज के वापस कर दिया जाएगा। सम्पत्ति निरीक्षण की तारीख 07/11/2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.30 बजे के बीच है।
- में खोली जाएंगी। सर्वोच्च बोली रकम कोट करने वाले बोलीदाता को सम्पत्ति की बिक्री की जाएगी। अधिकृत अधिकारी के एकल विदेक पर पारस्परिक बोली लगाई जाएगी। हालांकि, अधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण, चाहे कुछ भी हो, बताए किसी भी

सम्पत्ति के लिए बोली/प्रस्ताव (नीलामी की तारीख) के खुलने की तारीख ऊपर उल्लेखित शाखा कार्यालय के पते पर दिनांक 21/11/2024 को दोपहर 12.30 बजे है। निविदा/बोली सभी बोलीदाताओं के साथ अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति

- निविदा/बोली को स्वीकार अथवा रद करने अथवा बिक्री को स्थगित/निलंबित करने का सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है। आरक्षित मूल्य से कम कीमत पर सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जाएगी।
- बकाया रकम की वसूली तक सूचना में उल्लेखित बकाया एवं भुगतेय रकम पर ऋण अनुबंध के अनुसार लागू आगे के ब्याज तथा आकस्मिक व्यय, लागत इत्यादि वसूला जाएगा। निर्घारित निविदा प्रपत्र में नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम एवं शतों का उल्लेख किया गया है। निविदा प्रपत्र ऊपर उल्लेखत मुख्यालय/शाखा कार्यालय में उपलब्ध है।
- कोई भी शुल्क, प्रभार, कर जो हस्तांतरण/समर्पण प्रभार, अमुक्त बिजली का शुल्क, नगरपालिका/स्थानीय कर, स्टैम्प ड्युटी एवं पंजीयकरण शुल्क तक ही सीमित नहीं का भुगतान सिर्फ क्रेता को करना होगा। प्रत्याभूत सम्पत्ति पर सभी बकाया/देय/अभूक्त करों के साथ बिक्री कर, सम्पत्ति कर इत्यादि तक सीमित नहीं अथवा अन्य कोई भी बकाया, सांविधिक अथवा अन्य कोई रकम का भुगतान पृथक रूप से क्रेता को करना होगा।
- 10. प्रत्याभूत ऋणदाता को ज्ञात ऋणमारः **शून्य** 11. सफल बोलीदाता को बोली रकम (ईएमडी के समायोजन के उपरांत) की 25% रकम अविलम्ब जमा करनी होगी तथा शेष 75% रकम का भुगतान 15 दिनों के अंदर करना होगा। ऊपर उल्लेखित बिक्री मूल्य का भुगतान करने में विफल होने पर आगे बिना किसी सुवना के ईएमडी के साथ सभी जमा की गई रकम जब्त कर ली जाएगी। हालांकि विशेष परिस्थिति में शेष 75% रकम जमा करने के लिए आगे यथोवित समय तक विस्तार अधिकृत अधिकारी के एकल विवेक पर निर्भर है।
- 12. अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विवरण उनके सर्वश्रेष्ठ ज्ञान पर आधारित, विश्वसनीय एवं रिकार्ड पर आधारित है। अधिकृत अधिकारी किसी भी तरह की त्रुटि, गलत विवरण अथवा चूक इत्यादि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। 13. बोली अहस्तांतरणीय है।
- 14. बैंकर्स चेक अथवा डिमांड डाफ्ट सिर्फ **"मैसर्स एसबीएफसी फाइनैंस लिमिटेड"** के पक्ष में **देहरादन में भुगतेय** होना चाहिए।
- 15. कर्जदार/सह-कर्जदार को एतद्द्वारा नीलामी की तारीख से पहले कपर उल्लेखित रकम का भुगतान करने के लिए सरफेसी अधिनियम, 2002 के अधीन 30 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना दी जाती है, अन्यथा अचल सम्पत्ति की बिक्री कर दी जाएगी एवं बकाया रकम, यदि कोई हो, ब्याज एवं लागत के साथ वसूल किया जाएगा। बिक्री से पहले अगर कर्जदार एसबीएफसी फाइनैंस लिमिटेड (पूर्व में एसबीएफसी फाइनैंस प्रा. लि.) को सम्पूर्ण बकाया रकम चुकता कर देते हैं, तो नीलार्म
- 16. कर्जदार, सह-कर्जदार को एतद्द्वारा बिक्री के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने की सूचना दी जाती है तथा वे बिक्री के नियम एवं शतों के अनुसार यहां ऊपर उल्लेखित सम्पत्ति के क्रय के लिए इच्छुक क्रेताओं/खरीददारों को साथ ला सकते हैं।

स्थान : देहरादन तारीखः 18/10/2024

(अधिकत अधिकारी) मैसर्स एसबीएफसी फाइनैंस लिमिटेड